

पंचायती  
दिनांक 04.12.2018 को 11:00 बजे अम्पसहन में उपायुक्त महोदय के कार्यालय कक्ष में  
आयोजित जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट, गोड्डा की बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति पंजी में संधारित हैं।
2. सर्वप्रथम बैठक में उपायुक्त, महोदया के द्वारा पूर्व की बैठकों में दिये गए निदेश के अनुपालन की समीक्षा की गई।
3. उपायुक्त गोड्डा के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से खनन क्षेत्रों के विकास हेतु ग्राम विकास योजना (VILLAGE DEVELOPMENT PLAN) की समीक्षा के क्रम में जिला द्वारा निर्गत आदेश के तहत निर्धारित तिथि तक कार्य पूर्ण नहीं होने पर निराशा जाहिर करते हुए ग्राम विकास योजना (VDP) के जिला स्तरीय टीम को सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी गोड्डा जिला से समन्वय स्थापित कर एक सप्ताह के अंदर ग्राम विकास योजना (VDP) का प्रतिवेदन जिला DMFT कोषांग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही जितनी भी योजनाएं (VDP) में लिया गया है उक्त सभी योजनाएं ग्राम सभा से पारित है कि नहीं अवलोकन कर सभी योजनाओं का Excel Data तैयार कर योजना की प्राथमिकता तय करने का निदेश दिया गया। चयनित ग्रामों का (VDP) दिनांक—15.12.2018 तक अंतिम रूप से तैयार करने का निदेश दिया गय

(अनुपालन :—प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, गोड्डा / VDP Monitoring Team, Godda)

4. उपायुक्त महोदया द्वारा DMFT, GODDA के PMU के क्रियाकलापों की समीक्षा की गई, समीक्षा उपरांत डी.एम.एफ.टी. गठन इत्यादि से संबंधित मार्गदर्शन के आलोक में DMFT, PMU पूर्व से गठित PMU में संविदा अधारित कर्मियों के नवीकरण से संबंधित संचिका अभिलंब उपस्थापित करने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा, गोड्डा को दिया गया।

(अनुपालन :— प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, गोड्डा।)

5. उपायुक्त, महोदया के द्वारा DMFT मद अन्तर्गत खनन प्रभावित क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गोड्डा को उपलब्ध कराई गई। समीक्षा उपरांत कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं राशि के संबंध में समीक्षा की गई। समीक्षा उपरांत कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गोड्डा के द्वारा सड़े राइजर पाइप बदल कर मरम्मति कार्य 1058 अद्द एवं साधारण मरम्मति कार्य 4724 अद्द के कराये गए कार्यों के संबंध में निदेश दिया गया एवं साधारण मरम्मति कार्य 4724 अद्द के कराये गए कार्यों के संबंध में निदेश दिया गया कि उक्त किए गए सभी कार्यों को अविलम्ब ग्रामसभा से पारित कराते हुए 15 दिनों के अंदर जिला DMFT कोषांग, गोड्डा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के ग्रामों में पेयजलापूर्ती हेतु नये चापाकल की योजनाओं को प्राथमिकता पर लेने का निदेश दिया गया। तथा उक्त योजना का कार्यन्वयन मनरेगा मद से कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :— कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गोड्डा / निदेशक लेखा प्रशासन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा / प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, गोड्डा )

6. उपायुक्त, महोदया के द्वारा ऑगनबाड़ी केन्द्र एवं स्कूल को जोड़ने वाली कुछ महत्वपूर्ण सड़क निर्माण की योजना को DMFT मद के तहत लेने का निदेश दिया गया। जिस पर उप विकास आयुक्त, महोदय के द्वारा बताया गया कि इस मद के तहत वही रोड लिया जा सकता है जो पूर्णतः खनन प्रभावित क्षेत्र, ग्राम / पंचायत से मिलाता हो।

पूर्व में ली गई योजना उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में सोलर लाईट का अधिष्ठापन से संबंधित प्रस्ताव को सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोड्डा जिला से मौग करने हेतु पत्र देने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :— प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, गोड्डा / सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोड्डा जिला )

7. उपायुक्त महोदया के द्वारा पूर्व में ली गई 14 स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्राकलन के संबंध में जानकारी की मौग किये जाने पर बैठक में उपस्थित कार्यवाहक सहायक के द्वारा बताया गया कि 6 स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्राकलन कार्यपालक अभियंता ग्रामीणी प्रमण्डल गोड्डा से प्राप्त है। जो संचिका में निर्णयार्थ उपस्थापित है। तथा अवशेष स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्राकलन अविलम्ब तैयार कर उपलब्ध कराने का निदेश कार्यपालक अभियंता विशेष प्रमण्डल को दिया गया है।

जिसपर उपायुक्त महोदया के द्वारा निदेश दिया गया कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से प्राप्त करें। स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण कार्य संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्यपालक अभियंता ग्रामीणी प्रमण्डल गोड्डा से कराने का निदेश तथा उक्त प्राकलन कार्यपालक अभियंता ग्रामीणी प्रमण्डल गोड्डा एवं कार्यपालक अभियंता ग्रामीणी प्रमण्डल, गोड्डा दिया गया। सिविल सर्जन, गोड्डा एवं कार्यपालक अभियंता ग्रामीणी प्रमण्डल, गोड्डा को उक्त सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण का संयुक्त प्रतिवेदन को उक्त सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सदर अस्पताल हेतु विभाग के विभिन्न उप स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सदर अस्पताल हेतु विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सक, पारा मेडिकल स्टाप अन्य मानव संसाधन एवं उपकरण से संबंधित आवश्यकताओं का आकलन एक पक्ष के अन्दर करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश सिविल सर्जन को दिया गया।

(अनुपालन :- सिविल सर्जन, गोड्डा/कार्यपालक अभियंता ग्रामविभाग प्रमण्डल, गोड्डा /सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोड्डा जिला/ प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, गोड्डा।)

8. उपायुक्त, महोदया के द्वारा प्रत्येक प्रखण्ड से पूर्व में मॉगी गई तालाब का निर्माण का प्रस्ताव, सांसद/विधायक एवं प्रतिनिधि से प्रत्येक प्रखण्ड में मॉडल गॉव का प्रस्ताव, प्रत्येक प्रखण्ड में एक स्कूल एवं एक ऑगनबाड़ी केन्द्र को मॉडल बनाने का प्रस्ताव, एवं पेयजल की व्यवस्था हेतु दिये गये सभी प्रस्ताव को ग्रामसभा से पारित करना का निर्देश दिया गया। साथ ही जिस योजना के लिए प्रस्ताव या सुची अप्राप्त हैं उन सभी का मॉग करने का निर्देश दिया।

(अनुपालन :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, गोड्डा/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोड्डा जिला/जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोड्डा/जिला शिक्षा अधिकारी, गोड्डा।)

9. उप विकास आयुक्त, गोड्डा को कार्यपालक अभियंता पेयजल स्वच्छता प्रमण्डल, गोड्डा के साथ अलग से बैठक कर पेयजल इत्यादि की योजनाओं की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया।

अंत मे संधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

  
उपायुक्त— सह — अध्यक्ष  
डी०एम०एफ०टी० गोड्डा।

ज्ञापांक : 65 / डी.एम.एफ.टी. गोड्डा, दिनांक 13/12/2018

प्रतिलिपि : सभी संबंधित पदाधिकारी को सुचनार्थ प्रेषित।

  
उपायुक्त— सह — अध्यक्ष  
डी०एम०एफ०टी० गोड्डा।